न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 146/2018

1 मंदिर लोहागढ़, केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये पुजारी मनोहरलाल निवासी लोहागढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अनिल कुमार पुत्र सत्यनारायण उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति महाजन निवासी केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांकित 21.05.2002
न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनू बमुकदमें
उनवानी अनिल आदि बनाम राज. सरकार जरिये
लैण्ड होल्डर तहसीलदार मु.नं. 141/2002 दावा
बाबत इस्तकरार हक हुक्म इस्तनाई दवामी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री दिपेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—16.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 141/2002 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 2 ने एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 263 हाल खसरा नम्बर 268 वाके ग्राम केड का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट वादीगण ने इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी हेतु रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के विरूद्ध दावा किया व अपीलान्ट जो कि उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है उसको दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 के रूप में जरिये प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में प्रदर्शित कर साज कर अशुद्ध रूप से बदनियती पूर्वक दावा पेश किया उक्त दावे में जो आवश्यक पक्षकार अपीलान्ट था उसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध एक्स पार्टी का आदेश पारित कर कुछ समय पश्चात ही दावा डिक्री करवा लिया गया जो विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय को दावा दायर करने पर प्रतिवादीगण व अपीलान्ट को सुनवाई व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिरक्षा का व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में तनकीयात कायम कर तथा उन पर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर विधिक रूप से दावे का निर्णय करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 को सुनवाई व प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्रदान नहीं कर आर्बीट्रेरी रूप से वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 का दावा डिक्री कर दिया। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका में अंकित किया है ' आज यह दावा बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ दर्ज रजिस्टर किया जावे तलबी प्रतिवादीगण प्रस्तुत तलबाने पर जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर की जावे मिसल आईन्दा पेश हो। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को बिना सुने ही अपीलान्ट को सही रूप से पक्षकार बनाये बिना ही व बिना सुनवाई का मौका दिये उक्त दावा निर्णय व डिक्री कर दिया और ना ही उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा अपने पिता के समस्त वारिसों को पक्षकार बनाया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2002 पारित करने से पूर्व रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। इस कारण विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय व डिक्री किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नहीं है। जबकि उक्त आराजी के संबंध में दावा दायरी के समय अपीलान्ट उक्त आराजी में खातेदार के रूप में प्रदर्शित था और उक्त आराजी के रेवन्यू रिकार्ड में संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट की खातेदारी दर्ज थी। उक्त आराजी में अपीलान्ट का इन्द्राज भूमि अधिकारी के रूप में दर्ज था मन्दिर लोहागढ़ की व्यवस्था को चलाने के लिए अपीलान्ट ने उक्त आराजी तथाकथित गफूर खां को माल लेकर काश्त करने के लिए दी थी कभी भी उक्त आराजी पर तथाकथित गफूर खां या रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के पिता का कोई अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं रहा है गलत बने रिकार्ड के आधार पर अविधिक रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ये विवादित निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रदर्श 2 खतौनी 2012 से 2031 है। जिसमें यह जमीन गफूर खां की खातेदारी में दर्ज है व माफी मंदिर लोहागढ़ में दर्ज है। तथा लगान कायम है। प्रदर्श–8 जमाबंदी 2013 से 2016 प्रदर्श–9 में भी यी जमीन गफूर खां की खातेदारी में दर्ज है। मंदिर की माफी में दर्ज है। लगान कायम है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श–13 संवत 2012 से 2019 में भी यह जमीन गफूर की काश्त में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–17 से गत व हाल खसरा नम्बर की ताईद होती है। उपरोक्त समस्त परिस्थिति से यह भली भांति स्पष्ट है कि उक्त जमीन के कृषक के खाने में गफूर का नाम है अर्थात वर्तमान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के दिन 15 अक्टूबर 1955 के दिन व इससे पूर्व काबिज काश्तकार गफूर सिद्ध होता है। जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी इस कथन की ताईद करते है। यह जमीन गफूर की खुद काश्त में दर्ज है। अपीलांट मनोहरलाल ने अपील व प्रार्थना पत्र में अपनी वल्दीयत व कौम दर्ज नहीं की है और दर्ज नहीं करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अपीलान्ट मनोहरलाल मूर्ति मन्दिर लोहागढ़ का पुजारी हो इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार मनोहरलाल को अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं है। निर्णय पारित होने के करीब 16 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। देरी का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू की अदालत में रेफेरेन्स संख्या 111/2008 उनवानी राज. सरकार बनाम अनिल कुमार वगै. अ.धारा 82 आर. एल.आर. एक्ट 1956 सपठित धारा 232 आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 31.03.2010 को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया और निर्णय में राजस्व रिकार्ड को सही होना मानकर यह फाईडिंग दी कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के कब्जे काश्त व खातेदारी की नहीं है। उक्त निर्णय अन्तिम है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील में कोई मैरिट नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदर्श 2 खतौनी 2012 से 2031 है। जिसमें यह जमीन गफूर खां की खातेदारी में दर्ज है व माफी मंदिर लोहागढ़ में दर्ज है। तथा लगान कायम है। प्रदर्श–8 जमाबंदी 2013 से 2016 प्रदर्श–9 में भी यी जमीन गफूर खां की खातेदारी में दर्ज है। मंदिर की माफी में दर्ज है। लगान कायम है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श–13 संवत 2012 से 2019 में भी यह जमीन गफूर की काश्त में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 17 से गत व हाल खसरा नम्बर की ताईद होती है। उपरोक्त समस्त परिस्थिति से यह भली भांति स्पष्ट है कि उक्त जमीन के कृषक के खाने में गफूर का नाम है अर्थात वर्तमान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के दिन 15 अक्टूबर 1955 के दिन व इससे पूर्व काबिज काश्तकार गफूर सिद्ध होता है। जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी इस कथन की ताईद करते है। यह जमीन गफूर की खुद काश्त में दर्ज है। अपीलांट मनोहरलाल ने अपील व प्रार्थना पत्र में अपनी वल्दीयत व कौम दर्ज नहीं की है और दर्ज नहीं करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अपीलान्ट मनोहरलाल मूर्ति मन्दिर लोहागढ़ का पुजारी हो इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार मनोहरलाल को अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं है। निर्णय पारित होने के करीब 16 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है। देरी का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू की अदालत में रेफेरेन्स संख्या 111/2008 उनवानी राज. सरकार बनाम अनिल कुमार वगै. अ.धारा 82 आर.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एल.आर. एक्ट 1956 सपठित धारा 232 आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 31.03.2010 को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और निर्णय में राजस्व रिकार्ड को सही होना मानकर यह फाईडिंग दी कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के कब्जे काश्त व खातेदारी की नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर